



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Cooperation, Govt. of India
क्षेत्रीय निदेशालय – भोपाल



International Year
of Cooperatives
2025
Cooperatives Build
a Better World

दूरभाष: 0755-4902392

फैक्स: 0755-4902397

ई-मेल: ro.bhopal@ncdc.in; वेबसाइट: www.ncdc.in

ए-8, तीसरी मंजिल, प्लेटिनम प्लाजा,

टी.टी. नगर, भोपाल,

मध्य प्रदेश – 462003

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: सुश्री इंद्रजीत कौर, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी, ए8, तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462003, मोबाइल नंबर: 9311765335, ईमेल आईडी: ro.bhopal@ncdc.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित।

एतद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/ बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे उल्लिखित संपत्तियाँ, जिनका प्रतीकात्मक कब्जा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा से लिया गया है, **14/10/2025** को निम्नलिखित आधार पर बेची जाएंगी: नीचे उल्लिखित उधारकर्ता संगठन, अध्यक्ष और बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता के बकाये की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से "जैसा है जहां है, जैसा है जैसा है, जो भी है और बिना किसी सहारे के" के आधार पर।

उधारकर्ता संस्था, निदेशकों और बंधककर्ता का नाम	बिक्री / नीलामी हेतु सुरक्षित संपत्तियों का विवरण		
उधारकर्ता: ताप्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिवखेड, मुलताई, जिला बेतुल, म.प्र., अध्यक्ष/प्रबंधक: श्री रामभाऊ धोते (मोबाइल): 9340092117, 7898588103	ग्राम सावंगी, तहसील मुलताई जिला बेतुल, म .प्र. में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका पंजीयन उप-जिला मुलताई और जिला बेतुल, मध्य प्रदेश में है, नगर सर्वेक्षण संपत्ति संख्या ¼, पटवारी हल्का क्र.102, आर.एन.एम-मासोद ग्राम सावंगी, तहसील मुलताई, जिला बेतुल की भूमि है।		
	भूमि का चतुर-सीमा विवरण:		
	दिशा	दस्तावेजों के अनुसार	वास्तविक
	उत्तर	बटनी बाई की भूमि	पहुँच-मार्ग फिर बटनी बाई की भूमि
	दक्षिण	पांडुरंग राजा की भूमि	पांडुरंग राजा की भूमि
	पूर्व	मधु व नत्थू की भूमि	मधु व नत्थू की भूमि
	पश्चिम	संतोष मारोटी की भूमि	संतोष मारोटी की भूमि
मांग सूचना तिथि एवं राशि	मांग सूचना दिनांक 14.03.2024, ₹6,32,112/- + उस पर अतिरिक्त व्याज और शुल्क। 26.08.2025 तक वर्तमान बकाया राशि ₹7,44,875/- है, साथ ही उधारकर्ता द्वारा एनसीडीसी को देय अतिरिक्त व्याज शुल्क भी।		
कब्जे की तिथि एवं कब्जे का प्रकार	07.04.2025 (सांकेतिक कब्जा)		
आरक्षित मूल्य	₹14,50,000/- (केवल चौदह लाख पचास हजार रुपये)		
बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.)	₹1,45,000/- (केवल एक लाख पैतालीस हजार रुपये)		
बोली वृद्धि मूल्य	₹50,000/- (पचास हजार रुपये)		
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	14.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक		
निरीक्षण की तिथि एवं समय	07.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक		
नीलामी/ बोली केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक में 5 मिनट का असीमित विस्तार होगा।			

नियम एवं शर्तें

- 1) उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों **“जहां है जैसी है, जैसी है, जो भी है और बिना किसी रोक-टोक के”** के आधार पर बेचे जाएंगी और ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगे।
- 2) कोटेशन जमा करने से पहले, उक्त बिक्री/ नीलामी, उसके नियम एवं शर्तों, बोली प्रपत्र और बोली/प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी के लिए, कृपया उपरोक्त पते या नंबर पर संपर्क करें।
- 3) बोली जमा करने से पहले, बोलीदाताओं को संबंधित सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में उनके द्वारा देय अधिकारों, स्वामित्व, व्याज और बकाया राशि के बारे में प्राधिकृत अधिकारियों से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए और बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, सुरक्षित संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ई-नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्तियों के ऋणभार स्वामित्व और सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सुरक्षित संपत्तियाँ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ज्ञात या अज्ञात सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणों के साथ बेचे जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।
- 5) लागू स्टाम्प शुल्क / अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण और पंजीकरण शुल्क, फीस आदि केवल क्रेता द्वारा वहन की जानी है।
- 6) उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों से संबंधित सभी वैधानिक / गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन, शुल्क, फौस, दावे आदि केवल क्रेता की जिम्मेदारी होगी।
- 7) इच्छुक बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड / ऑक्शन टाइगर, बी-704, वॉल स्ट्रीट-11, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद- 380006 गुजरात (भारत) से ऑनलाइन बोली लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क सूत्र: श्री प्रयोग कुमार थेवर 9722778828 | 9265562819 | 9265562921| 9265562818, praveen.thevar@auctiontiger.net या support@auctiontiger.net। बिक्री के नियमों और शर्तों के विवरण के लिए, कृपया <https://sarfaesi.auctiontiger.net> या <https://www.ncdc.in> देखें।
- 8) **अग्रिम राशि और केवाईसी 10.10.2025 को शाम 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जानी चाहिए।**
- 9) प्रस्तुत की जाने वाली बोली की कोमत आरक्षित मूल्य से अधिक होगे और बोलीधता 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) के गुणकों में अपनी आगे की पेशकश बढ़ा सकते हैं।
- 10) सफल बोलीदाता को बिक्री के तुरंत बाद अगले कार्यदिवस के भीतर बोली राशि का 25% (बोली से पहले अग्रिम जमा सहित) जमा करना होगा। यदि सफल बोलीदाता ऊपर निर्धारित समय के भीतर 25% राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अग्रिम जमा राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी। 25% जमा करने और उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि करने के बाद, बोलीदाता को शेष राशि अर्थात बोली राशि का 75% स्वीकृति/पुष्टि पत्र प्राप्त होने के 15 दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। यदि शेष राशि पुष्टि / स्वीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो जमा की गई कुल राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और सुरक्षित संपत्तियों को फिर से बेच दिया जाएगा।
- 11) **बयाना राशि (ईएमडी) आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या: 32164052874, IFSC-SBIN0004298 वाणिज्यिक शाखा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। सुरक्षित संपत्तियों के निरीक्षण या किसी भी जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।**
- 12) असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी राशि ई-नीलामी/बिक्री कार्यवाही के शीघ्र समापन पर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
- 13) **बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/आवेदक/आवेदकों के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।**
- 14) विक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी।
- 15) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा बिक्री या वसूली कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की स्थिति में, नीलामी/बिक्री को ऐसे आदेश के अनुपालन में बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित / रद्द किया जा सकता है और नीलामी/बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ऐसे स्थगन / रद्दीकरण आदि के लिए क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति और लागत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 16) इच्छुक बोलीदाता /प्रस्तावक या स्वयं या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ई-नीलामी/विक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा प्राधिकरण पत्र बोली राशि के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 17) उधारकर्ता संगठन को अपने निदेशकों और बंधककर्ता के माध्यम से भी संपत्ति का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्री में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई है।
- 18) विक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है।
- 19) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद्द करने या कोई अन्य उपाय करने का पूर्ण अधिकार है।
- 20) सफल बोलीदाता को यह जिम्मेदारी होगी कि वह आयकर अधिनियम की धारा 194 (ए) के अंतर्गत विक्री राशि का 1% टीडीएस का भुगतान करे और इसका प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करे।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) सहपठित नियम 9(1) के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना हेतु वैधानिक सूचना।

ऋणी संगठन/निदेशकों/बंधककर्ता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ये ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक व्ययों सहित का भुगतान करें। ऐसा न करने पर उपरोक्त संपत्तियों की नीलामी/विक्री कर दी जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, व्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

विशेष निर्देश एवं सावधानी

बोलीधताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंडों में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में विक्रेता की ओर से किसी भी चूक/ विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता आदि) के लिए न तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ये सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ विकल्प, जैसे कि बैंक अप बिजली आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ कर लें ताकि ये ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

हस्ता/-

दिनांक: 27/08/2025
स्थान: भोपाल

सरफेसी अधिनियम,
2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम